

FORM-II
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal.

No. 45/PA-2020

Dated 15/2/2020

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in favour of public work Department (Name of User Agency) for **Construction Division, PWD Dugadda** (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of **Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituency -Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018)** villagers (s) in Yamkeshwar tehsil.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.510** hectares of **Reserve Forest Land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1-4..... annexure 7-10.....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Signature


(Dhiraaj Singh Gabriyal IAS)
District Collector, Pauri

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- गंगाभोगपुर (कौड़िया)

तहसील यमकेश्वर, जिला-पौड़ी गढ़वाल।

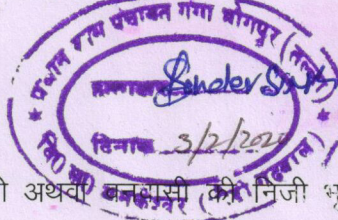
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य सिविल सोयम भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-गंगाभोगपुर द्वारा दिनांक 3/2/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गंगाभोगपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



सदस्य क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विक्रम खण्ड
जिला-...



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाय।

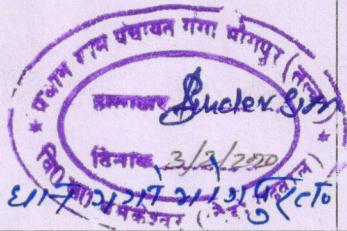
उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को सौंप कर दिया जायेगा।

प्रपत्र 23-1

दिनांक 3/2/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :-गंगाभोगपुर

क्र०सं०	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	पंकज सिंह	Pankaj
②	उदीप सिंह	Udip
③	राजेश बेलवाल	Raj
4-	राजीव प्रकाश	Rajiv
5-	सुशील कुमार	Sushil Kumar
6-	गीता देवी	गीता-देवी-
7-	सुरेश सिंह-गौरी	Singh
8-	गणेश कुमारी	गणेश कुमारी
9-	सन्नी	Sunny
10	आनन्द सिंह	AS
11	महेन्द्र प्रसाद	Mahendra Prasad
	सतीश सिंह शास्त्री	Satish Singh



गौरी देवी

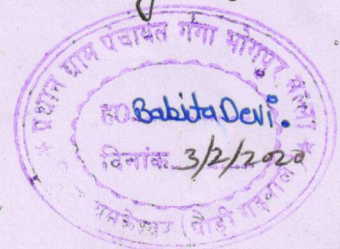
राजेश प्रसाद

गीता देवी

विमल सिंह

महेन्द्र प्रसाद

राजेश



उपस्थित वरिष्ठ पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड-यमकेश्वर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 23-2

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड यमकेश्वरपरिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य (0.510 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डाप्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील यमकेश्वर) की दिनांक 4/2/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 22.10.2019 को उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री 22.10.2019 उपजिलाधिकारी यमकेश्वर अध्यक्ष उप जिलाधिकारी
- 2- श्री 22.10.2019 वन्य जीव प्रतिपालक चीलाखंडिकुम सदस्य। वन्य जीव प्रतिपालक
- 3- श्री 22.10.2019 सहायक सभाज कल्याण अधिकारी यमकेश्वर सदस्य/सचिव। सभाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री 22.10.2019 बी०डी०सी०क्षेत्र / गंगा भोगपुर सदस्य। सदस्य क्षेत्र पंचायत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण परियोजना हेतु 0.510 है० आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड़डाप्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित प्रस्ताव द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड यमकेश्वरपरिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रा0-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.5110 है० वन भूमि राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

(C. L. P. Tamla)
वन्य जीव प्रतिपालक
चीला (हरिद्वार)
राजाजी टाईगर रिजर्व

सदस्य क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड-यमकेश्वर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड यमकेश्वर
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील-यमकेश्वर।
जनपद-पौड़ी।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील-यमकेश्वर।
जनपद-पौड़ी।

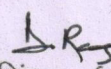
प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 हे० आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड़डा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति.....तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


(धिराज सिंह गब्याल आई०ए०एस०)
जिलाधिकारी
पौड़ी।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रपत्र 23-4

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.510 है० आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्त एजेन्सी) का पत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं. 0-11-9/98-एफ०सी० दि० 5/2/13 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों तथा सड़क नहर, परिपण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल एवं पाईप लाईन आदि बिछाने आदि के प्रकरणों का वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

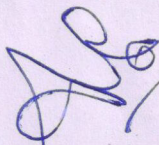
b.R-j

(धीराज सिंह गर्बाल आई०ए०एस०)
जिलाधिकारी
पौड़ी।

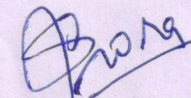
जिलाधिकारी
गढ़वाल

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituency -Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) (Bridge Length 200m span) Regarding FRA is as following.

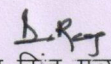
SL NO		REMARK
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.510 Hect. Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned Various villagers in Dandamandal regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.


जिला पंचायत सदस्य

सदस्य
जिला पंचायत उमरोली
पौड़ी गढ़वाल


जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी


निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तखण्ड देहरादून


(धीराज सिंह गर्ब्याल आई००००००००)
जिलाधिकारी
पौड़ी।

जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ..~~Dheeraj~~ Singh Gabriyal A.S. deputy commissioner, Pauri on dated 14/2/2020 at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest area measuring **0.510 Hect** for the Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituency -Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) **(Bridge Length 200m span)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee ~~Yamkeshwar~~ sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Pauri

Dated..14/2/2020...

Dheeraj
(Dheeraj Singh Gabriyal IAS)
Deputy Commissioner- cum-Chairman
District Level committee.

जिलाधिकारी
गढ़वाल

दिनांक. / /2020 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1-	सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2-	श्री टी०के० पात्रो	निदेशक राजार्ज राष्ट्रीय पार्क	सदस्य।
3-	श्रीमती सूनिता अरोड़ा	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4-	कु० आरती गौड़	जिला पंचायत सदस्य उमरोली	सदस्य।

बताया गया कि यमकेश्वर ब्लॉक में बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्ग हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गों का विवरण निम्नवत् है

- 1- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 0.510 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन:- इस सेतु का निर्माण चीला-पशुलोक मोटर मार्ग के पास बीन नदी पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस सेतु के निर्माण हेतु 0.510 हे० राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून की आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। सेतु निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से आस-पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

LR-

जिलाधिकारी
गढ़वाल

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं०-155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला-पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि 0.510 हे० लो०नि०वि० को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

LR-1

(धीराज सिंह गर्वाल) आई०ए०एस०

जिलाधिकारी

पौड़ी

जिलाधिकारी

गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, दुगड़डा।

पत्रांक 721/19 सी०

दिनांक 17/02/2020

- प्रतिलिपि :- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2-उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

14/2/2020

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
दुगड़डा-गढ़वाल।

